भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. 67

जिसका उत्तर 08.02.2021 को दिया जाना है

जयपुर-अजमेर एक्सप्रेस-वे

67 श्री नीरज डांगी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जयपुर-अजमेर एक्सप्रेस-वे का निर्माण आरंभ करने से पूर्व की गई यातायात की गणना तथा उसकी निर्माण लागत के अनुसार निर्धारित की गई रियायत अवधि तथा टोल की दर का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जयपुर-अजमेर एक्सप्रेस-वे टोल रोड पर टोल आरंभ किए जाने के बाद भी समय-समय पर रियायत अवधि तथा टोल की दर में वृद्धि की गई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या जयपुर-अजमेर एक्सप्रेस-वे टोल रोड पर टोल आरंभ किए जाने के बाद प्रति वर्ष यातायात गणना कराई जाती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

'जयपुर-अजमेर एक्सप्रेस-वे' के संबंध में श्री नीरज डांगी द्वारा पूछे गए दिनांक 08.02.2021 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *67 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने 17.03.2003 से प्रारंभ करके 16.03.2023 तक 20 वर्ष की रियायत अवधि के साथ जयपुर से किशनगढ़ के बीच छह लेन राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया है। इस परियोजना की कुल निर्माण लागत 614.50 करोड़ रु. है। इस खंड पर छह लेन बनाने का कार्य शुरू करने से पहले 35254 से 39439 यात्री कार यूनिट प्रति दिन (पीसीयू / दिन) की ट्रैफ़िक तीव्रता थी। टोल की दर भारत सरकार की अधिसूचना सा.आ. 1457 (अ) दिनांक 20.12.2003 के अनुसार निर्धारित की जाती है।

(ख): जयपुर - किशनगढ़ परियोजना के लिए रियायत अवधि बढ़ी नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 और रियायत समझौते के अंतर्गत यथा अधिसूचित थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर टोल दरों को वार्षिक रूप में संशोधित किया जाता है।

(ग): प्रति वर्ष 2015 से 2019 तक ठिकरिया और किशनगढ़ टोल प्लाजा के पास भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (आईएचएमसीएल) द्वारा यातायात सर्वेक्षण कराया गया है। इस अवधि के दौरान इस खंड पर औसत यातायात 74673 से 92020 पीसीयू / दिन की सीमा में है।

*****